


### प्रपत्र-4


परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड से बण्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।


### संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)


प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 29-04-2015 को प्रश्नगत प्रयोजन हेतु राज्य ~~बन~~ भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सन्तोष कुमार (वन दरोगा), एवं श्री दिग्विजय झिंक्वाण (वन वीट अधिकारी) राजस्व विभाग की ओर से श्री सुतोष शर्मा (रा.उ.नि.) रुद्रप्रयाग एवं लो.नि.वि. की ओर से श्री रूपेश भट्ट (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री दिनेश चन्द्र सेमवाल (अमीन) एवं श्री विष्णुदत्त नौटियाल (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार राज्य ~~बन~~ भूमि / नाप भूमि प्रभावित हो रही है। राज्य ~~बन~~ भूमि 0.420 है० व नाप भूमि 0.360 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित राज्य ~~बन~~ भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। आवेदित राज्य ~~बन~~ भूमि की मांग यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लो.नि.वि. द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से 1 गाँव व 71 जनसंख्या लाभान्वित होगी।


आवेदित राज्य ~~बन~~ भूमि में 73 वृक्षों व नाप भूमि पर 0 वृक्षों का पातन निहित है जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


  
अमीन  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.  
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.  
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.  
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

  
अधिशाली अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.  
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


  
Sub Inspector  
Revenue  
पटवारी,  
Circle: Zone H.P.  
Tehsil: .....  
Distt: Rudraprayag


  
तहसीलदार  
ऊखीमठ  
तहसीलदार,  
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

  
उपजिलाधिकारी,  
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)  
उपजिलाधिकारी  
ऊखीमठ

  
वन क्षेत्राधिकारी  
अगस्त्यामुनि रेंज,  
(रुद्रप्रयाग)

  
प्रभागिक अधिकारी  
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)  
प्रभागिक अधिकारी  
रुद्रप्रयाग

  
उप प्रभागिक अधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,  
रुद्रप्रयाग

  
जिलाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग।



SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath (For diversion under FCA-1980) of 0.420 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for improvement of gaid to basti gadgu Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-----.

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 0.420 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. yes

5.4 Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:- No

5.5 xxWhether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:- No

a). The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act. 1980 and . no work has been started without proper sanction. yes

b). It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act. 1980 . provisions. A detail rept as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest . (Conservation), Act. 1980 is attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommended in the (Signature) public interest.

Place- Rudraprayag  
Date-----

Name- (Dr. C. K. Kavidyal)  
Designation- D.C.F.  
Office Seal- उप वन संरक्षक  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

N.B. XState the purpose of with the forest land is proposed to be diverted.

XX Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the . option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required